भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4308

गुरुवार, दिनांक 18 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>कचरा अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन</u>

4308. डा एम॰के॰ विष्णु प्रसादः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) किन शहरों और नगरों में कचरा अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन की परियोजना शुरू कर दी गई है;

(ख) जो नगरपालिकाएं सरकार के पास अनापत्ति प्रमाण पत्र लंबित होने के कारण परियोजना शुरू करने की प्रतीक्षा कर रही हैं उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा पुनःचक्रण और विद्युत उत्पादन हेतु ऐसे संयंत्रों हेतु ज्यादा से ज्यादा नगरपालिकाओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(घ) क्या ऐसी परियोजनाएं शुरू करने के लिए विभिन्न नगरपालिकाओं को विशिष्ट अनुदान प्रदान की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) उन शहरों और कस्बों की सूची, जहां नगरीय ठोस अपशिष्ट से बिजली बनाने की परियोजनाएं चल रही हैं, अनुलग्नक-। में दी गई है ।

(ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में विगत 3 वर्षों के दौरान पर्यावरण संबंधी मंजूरी के लिए प्राप्त सात अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं की स्थिति अनुलग्नक-।। में दी गई है।

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं कि अधिक से अधिक नगरों का अपशिष्टों से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) संयंत्रों के लिए चयन किया जा सके, इनमें शामिल हैं:

i) राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए लागत का 35% तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)

ii) केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित जेनेरिक टेरिफ के आधार पर अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित बिजली को खरीदने के लिए राज्य विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को परामर्श जारी करना।

iii) संशोधित टैरिफ नीति के अनुसार वितरण लाइसेंसधारी अधिनियम की धारा 62 के तहत उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ पर राज्य के सभी अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित शत-प्रतिशत बिजली अनिवार्य रूप से खरीदेंगे।

iv) नगरीय ठोस अपशिष्ट सहित अक्षय प्रकृति के अपशिष्ट से बिजली उत्पादन के लिए ग्रिड सम्बद्ध परियोजनाओं की प्रारंभिक स्थापना के लिए 5% की दर से रियायती सीमा शुल्क और जीएसटी।

(घ) और (ङ): नगरपालिकाओं को सीधे कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) परियोजनाओं के लिए लागत के 35% तक सीएफए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को प्रदान किया जाता है।

<u>अनुलग्नक-।</u>

'कचरा अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन' के संबंध में दिनांक 18.07.2019 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4308 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-।

"दिनांक **31.05.2019** की स्थिति के अनुसार उन शहरों और कस्बों की सूची, जहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट से बिजली बनाने की परियोजनाएं चल रही हैं"

| क्र.सं. | राज्य | शहर/कस्बा | संस्थापित क्षमता (मेगावाट) |
|---|---|---|---|
| 1 | दिल्ली | गाजीपुर दिल्ली | 12.00 |
| 2 | दिल्ली | नरेला बवाना, दिल्ली | 24.00 |
| 3 | दिल्ली | ओखला, दिल्ली | 16.00 |
| 4 | मध्य प्रदेश | जबलपुर | 11.50<br>*(9* मेगावाट निर्यात योग्य *)* |
| 5 | महाराष्ट्र | शोलापुर | 3.0 |
| | | | **66.50** मेगावाट |

<u>अनुलग्नक-**II**</u>

'कचरा अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन' के संबंध में दिनांक 18.07.2019 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4308 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**II**

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण संबंधी मंजूरी के लिए सात अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। इनकी स्थिति निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | परियोजना | स्थिति | प्रदान करने की तारीख |
|---|---|---|---|
| 1. | मैसर्स तेहखंड वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा तेहखंड, ओखला, साउथ ईस्ट दिल्ली, नई दिल्ली में प्रस्तावित 25 मेगावाट का नगरीय ठोस अपशिष्ट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र (अपशिष्ट से ऊर्जा) | *पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई* | 26.7.2018 |
| 2. | मैसर्स भोपाल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गाँव कोलुआ खुर्द, आदमपुर छावनी, फंदा ब्लॉक, हुजूर तहसील, भोपाल जिले में प्रस्तावित 21 मेगावाट का नगरीय ठोस अपशिष्ट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र | *पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई* | 11.01.2019 |
| 3. | मैसर्स ए.जी. डाउटर्स वेस्ट प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गाजीपुर लेंडफिल साइट के पास कोल्ड प्लाज़्मा गैसीकरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए 72 टीपीडी नगरीय ठोस अपशिष्ट आधारित 20 मेगावाट का अपशिष्ट से ऊर्जा विद्युत संयंत्र | *टीओआर जारी* | 16.07.2019 |
| 4. | मैसर्स तिमारपुर ओखला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एनडीएमसी कम्पोस्ट प्लांट साइट के पास ओखला एसटीपी, ओखला, नई दिल्ली में प्रस्तावित 16 मेगावाट से 40 मेगावाट तक का (अपशिष्ट से ऊर्जा) विद्युत संयंत्र | *टीओआर जारी* | 20. 08.2018 |
| 5. | मैसर्स ए.जी. डाउटर्स वेस्ट प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम रामनगर माजरा अठमली, तहसील और जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में 250 मेगावाट की नगरीय ठोस अपशिष्ट विद्युत परियोजना (अल्ट्रा कोल्ड प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके) | ईआईए अधिसूचना और तत्संबंधी संशोधनों के अनुसार, इन परियोजनाओं में अभी तक ईआईए प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इस प्रकार, कोई भी परियोजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास लंबित नहीं है। | |
| 6. | मैसर्स ए.जी. डाउटर्स वेस्ट प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शाहजहाँपुर, तहसील काकड़ा कंकर कुंड, जिला शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश में 50 मेगावाट की नगरीय ठोस अपशिष्ट विद्युत परियोजना (अल्ट्रा कोल्ड प्लाज़्मा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके) | | |
| 7. | मैसर्स एजीडी बैरिया एनर्जी प्रा. लि. द्वारा तहसील और जिला राम चक बैरिया, पटना, बिहार में 400 मेगावाट की नगरीय ठोस अपशिष्ट विद्युत परियोजना (अल्ट्रा कोल्ड प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके) | | |

****